

दिनांक-05.05.2025 को 06:30 बजे अपराह्न में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- VC के माध्यम से।

विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति के संदर्भ में निम्न निदेश दिया गया :-

1. सफेद बालूघाटों की अनिलामित रहने के संबंध में खनिज विकास पदाधिकारियों द्वारा निम्न कारण बताया गया :-
 - 1.1 सुरक्षित जमा राशि अधिक होना।
 - 1.2 स्वामिस्व का दर साधारण मिट्टी से अधिक होना।
 - 1.3 सफेद बालू मुख्यतः भराई के कार्य में प्रयुक्त होता है। वैकल्पिक तौर पर मिट्टी का उपयोग किया जाता है।
2. दैनिक छापामारी में जब्त की गई वाहनों, खनिजों, दण्ड, प्राथमिकी एवं गिरफ्तारी के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ सूचना देने का निदेश दिया गया।
3. जिन जिलों में बालू जब्त है, नीलामी के माध्यम से निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। यदि नीलामी में किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो संबंधित जिलों के कार्य विभागों को अधिसूचित दर पर बिक्री कर निष्पादित करने के पूर्व के निदेश को दोहराया गया।
4. प्रत्यार्पित बालूघाटों की गहन जाँच की जाय, साथ ही बालूघाटों के नीलामी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उक्त घाटों पर अवैध खनन की संभावना बनी रहती है। इसलिए उन बालूघाटों पर सख्ती से निगरानी की जाय।
5. सभी प्रकार की नीलामी हेतु प्रकाशित NIT/Notice की प्रति विभाग को निश्चित रूप से भेजी जाए। इसको विभागीय website पर अद्यतन upload किया जाय।
6. Secondary Loading Point पर जमा की गई बालू की माप ड्रोन से कराने का निर्देश पत्रांक-2546 दिनांक 05.05.2025 से अवगत कराया गया। तत्संबंधी मापी एवं बालूघाटों के शेष कैपिंग के संबंध में भी प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


(दिवेश सेहरा)

सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक :- 2624 /एम0, पटना, दिनांक :- 13/05/25

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान